पत्रांक :–1/यो01–25/2016 (अंश–3) (उ0शि0)..74/बजट../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 20/06/2024/

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, खिजरी के नवनिर्मित भवन परिसर से गुजरे 220 KV Trasmission Line को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्राक्कलन (Deposit work के आधार पर) की कुल राशि रू0 4,32,53,502/– (चार करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार पॉच सौ दो रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :– **दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल का पत्रांक– E-55329/190 दिनांक 29.04.2024**

आदेश– स्वीकृत ।

झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है। राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत खिजरी विधान सभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 204/बजट दिनांक 16.11.2017 के द्वारा प्रदान किया गया है।

2. उक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा पूर्ण किया जा चुका है एवं नवनिर्मित भवन परिसर का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। डिग्री महाविद्यालय, खिजरी के हस्तांतरण के कम में विश्वविद्यालय द्वारा इसके परिसर से गुजरे DVC के 220 KV Trasmission Line होने के कारण हस्तांतरण नहीं लिया जा रहा है। Central Electricity Authority (CEA) Guidelines के अनुसार उक्त 220 KV Trasmission Line को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल का पत्रांक–E-55329/190 दिनांक 29.04.2024 के द्वारा डिग्री महाविद्यालय, खिजरी के परिसर से गुजरे DVC के 220 KV Trasmission Line को स्थानांतरित करने पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

3. उपर्युक्त कंडिका–2 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, खिजरी के नवनिर्मित भवन परिसर से गुजरे 220 KV Trasmission Line को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्राक्कलन (Deposit work के आधार पर) की कुल राशि रू0 4,32,53,502/– (चार करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार पॉच सौ दो रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 340.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024–25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01–उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

10. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी० एल० खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल के निम्नांकित खाता में उपलब्ध कराया जायेगा।

Name of Bank	PUNJAB NATIONAL BANK
Branch	NEW MANICKTALA BRANCH
Bank Address	P-41, CIT SCHEME VII(M), KAKURGACHI, KOLKATA-700054
IFSC Code	PUNB0008220
DVC A/C TITLE	DAMODAR VALLEY CORPORATION
MICR No.	700027099
DVC'S A/C No	0082250010682

11. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. उक्त योजना का अनुश्रवण कुलपति, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त Trasmission Line को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर DVC के द्वारा Deposit work के आधार पर किये जाने वाले कार्य के देख–रेख हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा। Trasmission Line को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीध्र इसका हस्तांतरण लेते हुये पठन–पाठन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी समय–समय पर उक्त योजना का समीक्षा करते हुये अनुश्रवण किया जायेगा।

13. उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण कर लिया जायेगा। योजना के पूर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि का DVC से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये महालेखाकार के कार्यालय/वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

20/6/24
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/यो01–25/2016 (अंश–3) (उ0शि0) 74/बजट /रॉची, दिनांक– 20/06/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/6/24
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 1/यो01–25/2016 (अंश–3) (उ0शि0) 74/बजट /रॉची, दिनांक– 20/06/2024

प्रतिलिपि –निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/Dy. General Manager (Coml.), Domodar Valley Corporation, Kolkata-700054 (anup.sharma@dvc.gov.in)/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/6/24
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।